राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ–7(73)जन/2015/पार्ट–II/ 10598–11140 दिनांकः 03/08/2016

1. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक,
   राजस्थान

2. समस्त उप पंजीयक,
   (पूर्णकालीन एवं पदेन),
   राजस्थान।

विषय : राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल के खण्ड (क) के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति का हकत्याग जिन रिश्तों में हो सकता है उन्हें स्पष्ट करने के संबंध में मार्गदर्शन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान वित्त अधिनियम, 2016 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–48 के खण्ड (क) में स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

आर्टिकल 48 (क)	यदि किसी पैतृक सम्पत्ति या उसके किसी भाग का निर्मुक्ति विलेख, भाई या बहिन (त्यागने वाले के माता–पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या त्यागने वाले की पत्नी या पति के द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित किया जायें।	त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बराबर रकम का 1.5 प्रतिशत।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–269 दिनांक 30.03.16 जारी कर उपरोक्त आर्टिकल–48(क) के अधीन निष्पादित हकत्याग पत्र के दस्तावेजों का स्टाम्प ड्यूटी में निम्नानुसार रियायत दी गई है :–

क्र.सं.	विवरण	स्टाम्प ड्यूटी की दर
1	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 5 लाख रूपये से अधिक नहीं है।	अधिकतम एक हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बरारबर रकम का 1.5 प्रतिशत।
2	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 5 लाख रूपये से अधिक है किन्तु 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है।	दो हजार रूपये
3	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक है।	पॉच हजार रूपये

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि उपरोक्त प्रावधान में रिश्तों की परिभाषा कठिन होने के कारण वे रिश्तें जिनके द्वारा या जिनके हक में पैतृक सम्पत्ति का हकत्याग किये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी की उपरोक्त रियायत दी गई है, को समझने में कठिनाई हो रही है। इस कारण हकत्याग के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की त्रुटिपूर्ण गणना की संभावना बनी हुई है। इस परिभाषा को समझने के अभाव में स्टाम्प ड्यूटी का गलत आरोपण नहीं हो, इस दृष्टिकोण से उपरोक्त आर्टिकल–48 के खण्ड (क) में परिभाषित रिश्तों को निम्नानुसार सरल रूप में स्पष्ट किया जाता है :–

क्र. सं.	आर्टिकल 48 (क) में परिभाषित रिश्तें	परिभाषा के अनुसार जिनके द्वारा या उनके पक्ष में पैतृक सम्पत्ति हकत्याग निष्पादित किया जा सकता है उनका स्पष्टीकरण
1	2	3
1	सगे भाई या बहन	भाई– भाई, बहन–बहन, भाई–बहन, बहन–भाई,
2	पुत्र या पुत्री	पिता–पुत्र, पुत्र–पिता, माता–पुत्र, पुत्र–माता, पिता–पुत्री, पुत्री–पिता, माता–पुत्री, पुत्री–माता

3	पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या पूर्व मृत पुत्र की पुत्री	दादा–पौत्र, पौत्र–दादा, दादी–पौत्र, पौत्र–दादी, दादा–पौत्री, पौत्री–दादा, दादी–पौत्री, पौत्री–दादी,
4	पिता या माता	पिता–पुत्र, पुत्र–पिता, माता–पुत्र, पुत्र–माता, पिता–पुत्री, पुत्री–पिता, माता–पुत्री, पुत्री–माता
5	पति या पत्नि	पति–पत्नि, पत्नि–पति

उपरोक्त विवरण के अनुसार कॉलम संख्या–3 में उल्लेखित रिश्तों के द्वारा या उनके पक्ष में आपस में पैतृक सम्पत्ति का हकत्याग किया जाता है तो उपरोक्त आर्टिकल–48 (क) सपठित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–269 दिनांक 30.03.16 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। अतः यँह सुनिश्चित किया जायें कि सरल भाषा में स्पष्ट किये गये रिश्तों के अतिरिक्त अन्य रिश्तों में पैतृक सम्पत्ति का हकत्याग का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 30.03.16 की रियायत का लाभ नहीं दिया जायेगा।

भवदीय

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ–7(73)जन/2015/पार्ट–I/1151 दिनांकः 03/08/2016

प्रतिलिपि अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर